रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 787] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938
No. 787] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/ CHAITRA 11, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

का.आ. 1274(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

कर्नाटक राज्य के चमराजनगर जिले (हनुर ताल्लुक) में स्थित मलाई महादेशवरा वन्य जीव अभयारण्य, जिसे अधिसूचना सं. एफ ई ई 90 एफ डब्ल्यू एल 2013, तारीख 7.5.2013 द्वारा अधिसूचित किया गया था, उत्तरी

अक्षांश 11°44’ 54.29’’ उ से उत्तरी अक्षांश 12°9’ 32.51’’ उ तक और पूर्वी देशांतर 77°40’ 6.35’’ पू और 77°40’ 6.35’’ पू के बीच स्थित है और 906.187 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, मलाई महादेशवरा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के सवाना के वनस्थली वनों का महत्वपूर्ण भाग है और हाथी परियोजना द्वारा घोषित मैसूर हाथी रिजर्व का भी रूप है जो अभयारण्य के पारिस्थितिक महत्व का वर्णन करने वाले एशियाई हाथियों की अच्छी सघनताओं का पोषण करता है और हाल ही में बाघों को भी इस वन्य जीव अभयारण्य में प्रलेखीकृत किया गया है;

और, अभयारण्य की पश्चिमी दिशा बहुत संकुचित गलियारे से होती हुई बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर बाघ रिजर्व से जुडी हुई है, दक्षिणी दिशा सत्यमंगलम बाघ रिजर्व (1,411.6 किलोमीटर) से जुडा हुआ है और पूर्वी भाग उत्तरी बारागुल आरक्षित वन (451.5 किलोमीटर) से जुडा हुआ है जिनमें से दोनों तमिलनाडु में है जो तीन हजार वर्ग किलोमीटर में व्यापक प्रजातियों के लिए ऐसा समीपस्थ आश्रय है जो देश में विशालतम आश्रयों में से एक आश्रय है जहां कुछ बडे स्तनपायी पाए जाते हैं जिनमें बाघ, चीता, जंगली कुत्ता, लक्डबग्घा, रीछ, हाथी, गौर, सांभर, चीतल और चौसिंगा हिरण भी हैं, ऊदबिलाव और दलदली मगरमच्छ दो महत्वपूर्ण नदीय वन्यजीव प्रजातियां है तथा अभयारण्य संकटग्रस्त मीन दक्कन महाशीर के लिए भी प्रसिद्ध है। नदी पालार अभयारण्य के बीच से बहती है और अभयारण्य की पूर्वी दिशा पर अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है , और अभयारण्य के भीतर उन्नीस अनुलग्नक ग्राम है।

और, मलाई महादेशवरा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में मलाई महादेशवरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 0.23 किलोमीटर से 3.80 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को मलाई महादेशवरा वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 123.66 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जि囊सका विस्तार मलाई महादेशवरा वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 0.23 किलोमीटर से 3.80 किलोमीटर के बीच है जि囊सकी सीमाओं का वर्णन सहित **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 26 गांवों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांको सहित **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है ।

(3) अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के सीमा ब्यौरे मानचित्र सहित **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन और अभयारण्य सीमा के मुख्य अवस्थान(जीपीएस बिंदु) सहित **उपाबंध**

IV के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) शहरी विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिका ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई;

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 11, 17, 23, 28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना ।

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित)

मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे ;
परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गो, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख

25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;

		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान नए काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार चालू रह सकते हैं ; परंतु यह और कि विद्यमान आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी अवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएंगे। प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटों और टेट्रापैकों का निपटान सर्वदा विनियमित किए जाएंगे।
(11)	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

		परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों तथा संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना का अनुसरण किया जाएगा।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(15)	विद्युत केबलों 11 केवी से ऊपर की पारेषण लाईनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि पुष्प, कृषि या कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं । को अनुज्ञात किया जाएगा।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी व्यवसायो के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषी जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(29)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।

5. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) क्षेत्रीय आयुक्त , मैसूर - - अध्यक्ष

(ii) चमराज नगर, हनूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय विधान सभा सदस्य जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किया जाए - - सदस्य

(iii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व - सदस्य

(iv) शहरी विकास विभाग कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व - सदस्य

(v) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनो(जिसके अन्तर्गत विरासत संरक्षण है) का राज्य सरकार द्वारा नामर्निदिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधित्व - सदस्य

(vi) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मैसूर - सदस्य

(vii) एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला कर्नाटक के ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक में एक विशेषज्ञ - सदस्य

(viii) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, चमराजनगर –सदस्य

(x) उप वन संरक्षक, मलाई महादेशवरा वन्य जीव अभयारण्य, कोलेगल - सदस्य सचिव;

6. निर्देश का निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/162/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

मलाई महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य के किनारे (बाहरी)में बहुत से ग्राम क्षेत्र है जो मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवदी जोन में शामिल माने जाते है पहले से बी.आर.टी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के पूर्वी भाग पारिस्थितिक संवदी जोन में शामिल है और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी भाग (कुछ भाग)एवं मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य का शेष उत्तरी भाग कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के समीप है । संपूर्ण मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य का दक्षिण भाग अंतर- राज्य सीमा कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के बीच है । अत: तमिलनाडु वन विभाग प्राधिकारी ने पारिस्थितिक संवदी जोन के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के पत्र सं . एफ. एम 1-9/2007 डब्ल्यू एल. आई (पी.टी) दिनांक 09.02.2011 के द्वारा अनुरोध किया है इसके अतिरिक्त,तीन आरक्षित वन एवं हानुर आरक्षित वन के द्वारा अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन पारिस्थितिक अखंडता में मलाई महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य का गठन किया गया है।

मलाई महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवदी जोन में राजस्व क्षेत्रो में सम्मिलित है जिनको दो भागो में विभक्त किया गया है अर्थात – भाग – I एवं भाग II यह दो भाग अलग अलग है कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का भाग हानुर आरक्षित वन के उत्तरी भाग में मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा आरिक्षत वन के उत्तरी भाग में मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा हानुर आरक्षित वन के उत्तरी भाग पर मिला जुला है।

भाग I

दक्षिण – सीमा बिंदु हानुर आरक्षित वन के पूर्वी भाग पर बिंदु निर्देशांक उ12^{0}02' 49" पू 77^0 17' 16") के साथ आरंभ होकर और हानुर ग्राम की दक्षिण सीमा के साथ होते हुए बाहरी सीमा की सर्वे सं 355, 175, 176, 147, 150, 198, 200, 201, 14, 204, 203, 205, 221, 168, 222, 234 और235 पश्चिम की ओर जाती है फिर

यह निर्देशांक उ 12⁰ 02’ 58”पू77⁰ 15’ 51”. के साथ सामान्य ग्राम सीमा पर अर्थात हानुर एवं बेलाथूर ग्रामों के सर्वे सं 235 एवं 167 के जंक्शन बिंदु पहुंचती है।

पश्चिम – निर्देशांक के ऊपर से सीमा हानुर नगर के लोक्कानाहल्ली हानुर मुख्य जिला सड़क के साथ उत्तर – पूर्व दिशा में जाती है फिर यह बेलाभूर, हानुर एवं उद्दानूर ग्रामों के त्रि- जंक्शन बिंदु पहुंचती है इस बिंदु से रेखा हानुर ग्राम से होते हुए उसी सड़क के साथ इसके अतरिक्त उत्तर पूर्व दिशा में जाती है फिर यह निर्देशांक उ12⁰ 04’ 50” पू 77⁰ 18’ 02” के साथ बिंदु पहुंचती है । इस बिंदु से रेखा पुन: उत्तर पूर्व दिशा में काउदल्ली के उसी सड़क के साथ जाती है फिर यह हानुर एवं दोद्दामरीदेवारायसमुन्द्रा ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा पर हानुर ग्राम के सर्वे सं . 496 एवं 412 और दोद्दामरीदेवारायसमुन्द्रा ग्राम के सर्वे सं.213 के त्रि- जंक्शन बिंद पहुंचती है । इसके बाद रेखा कुछ दूरी पर उत्तर की ओर जाती है और इसके बाद अंतर –ग्राम सीमा के पश्चिम की ओर के साथ हानुर ग्राम के उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12⁰ 05’ 58” पू77⁰ 19’ 16”. के साथ प्रवाह के बिंदु पहुंचती है ।

उत्तर- इसके बाद रेखा दोद्दामरीदेवारायसमुन्द्रा, बथुगुप्पा एवं चेनगराहल्ली ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा के प्रवाह के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12⁰ 06’ 22” पू 77⁰ 20’ 27”. बिंदु के साथ पहुंचती है इसके बाद रेखा कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवदी जोन सीमा के साथ दक्षिण की ओर उतरकर हानुर आरक्षित वन के अधिकांश टिप के उत्तर पूर्वी पहुंचती है।

भाग II

उत्तर एवं पूर्व- बिंदु हानुर आरक्षित वन की सीमा पर बिंदु निर्देशांक उ 12⁰ 03’ 09” पू 77⁰ 20’ 30” के साथ आरंभ होकर और इसके बाद हानुर रामापुरम सड़क के साथ दक्षिण – पूर्व दिशा में पुन: जाती है फिर यह सामान्य ग्राम अज्जीपुरम एवं रामापुरम ग्रामों की सीमा पर बिंदु निर्देशांक उ12⁰ 00’ 38”पू77⁰ 22’ 46”. के साथ पहुंचती है इसके बाद रेखा सामान्य ग्राम अज्जीपुरम एवं रामापुरम की सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा के साथ पुन:जाती है फिर यह अज्जीपुरम,रामापुरम एवं चेनगाराहल्ली ग्रामों के के त्रि- जंक्शन बिंदु पहुंचती है इसके बाद रेखा सामान्य ग्राम रामापुरम एवं चेनगाराहल्ली की सीमा के साथ दक्षिण – पूर्व दिशामें उतरकर फिर यह बिंदु के निर्देशांक उ 12⁰ 00’ 43”पू77⁰ 24’ 05”. के साथ पहुंचती है । इसके अतरिक्त,सीमा रेखा रामापुरम एवं चेनगाराहल्ली की सामान्य ग्राम सीमा के साथ पुन: जाती है फिर यह इदायाराहल्ली आरक्षित वन सीमा पर चेनगाराहल्ली एवं रामापुरम ग्रामो के अधिकांश टिप उत्तर पूर्वी निर्देशांक उ12⁰ 00’ 28”पू77⁰ 25’ 28”. के साथ पहुंचती है

मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवदी जोन के अंतर्गत रामापुरम से हानुर और हानुर से लोक्कानाहल्ली सड़क के दोनो भाग 50 मीटर पर नहीं है और पारिस्थितिक संवदी जोन के अंतर्गत अज्जीपुरा और रामापुरा ग्रामो की ग्रामा थाना सीमाएं नहीं है।

भाग III

पारिस्थितिक संवदी जोन में पोन्नाची संलग्न ग्राम मलाई महादेश्वरा आरक्षित वन की सीमा से 100 मीटर पर है
पारिस्थितिक संवदी जोन में मीनयम संलग्न ग्राम येदाराहल्ली आरक्षित वन की सीमा से 100 मीटर पर है।

उपाबंध II

मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामो की सूची

मानचित्र आई डी	ग्रामो के नाम	तालुक	जिला	क्षेत्र (हेक्टेयर)	अक्षांश	देशांतर	पारिस्थितिक संवेदी जोन जोन चौडाई
1	पोनछी	कोलेगल	चमराजनगर	280.108	12.11796612	77.6172236	100 मीटर
2	छीनगढ़ी	कोलेगल	चमराजनगर	209.558	12.11336612	77.5570236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
3	चेनगढ़	कोलेगल	चमराजनगर	209.403	12.06726612	77.5092236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
4	ओछखिहाला	कोलेगल	चमराजनगर	45.777	12.05216612	77.5277236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
5	ईलचीकेरा	कोलेगल	चमराजनगर	170.615	12.04546612	77.4969236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
6	बीदासहल्ली	कोलेगल	चमराजनगर	78.345	12.02690593	77.54777968	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
7	मलाई महादेशवरा	कोलेगल	चमराजनगर	894.974	12.04746612	77.5989236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
8	इंदीगानाथा	कोलेगल	चमराजनगर	185.734	12.02996612	77.6316236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
9	तुलसीकेरे	कोलेगल	चमराजनगर	181.194	12.00546612	77.6174236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
10	मेदुगुनी	कोलेगल	चमराजनगर	28.901	11.99976612	77.5978236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
11	कोम्बुदुकी	कोलेगल	चमराजनगर	116.988	12.00636612	77.5539236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
12	तोकेराइ	कोलेगल	चमराजनगर	73.259	11.99356612	77.5366236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
13	दोद् दाने	कोलेगल	चमराजनगर	92.505	11.96006612	77.5286236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
14	मरततल्ली	कोलेगल	चमराजनगर	1615.36	11.99236612	77.5072236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
15	होगयम	कोलेगल	चमराजनगर	2679.177	11.84226612	77.4652236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
16	मीन्नीयम	कोलेगल	चमराजनगर	440.397	11.82236612	77.3518236	100 मीटर
17	दीन्नाल्ली	कोलेगल	चमराजनगर	905.142	11.92926612	77.3527236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
18	पच्चेदोदी	कोलेगल	चमराजनगर	171.245	12.02356612	77.3168236	संपूर्ण ग्राम (संलग्न)
19	रामापुरम	कोलेगल	चमराजनगर	1062.68	12.01654626	77.39464569	आंशिक ग्राम
20	अजीपुरम	कोलेगल	चमराजनगर	238.618	11.98966612	77.3669236	आंशिक ग्राम
21	गानगनदोदी	कोलेगल	चमराजनगर	408.307	12.01189427	77.36096675	आंशिक ग्राम
22	सुलेरिपालियम	कोलेगल	चमराजनगर	1051.38	12.02822495	77.35963438	आंशिक ग्राम
23	धोददामारिदेवा रायासमअनडरम	कोलेगल	चमराजनगर	172.584	12.10247803	77.32751465	आंशिक ग्राम
24	हुनुर	कोलेगल	चमराजनगर	812.965	12.07966612	77.2979236	आंशिक ग्राम
25	बेलादुर	कोलेगल	चमराजनगर	180.748	12.06107256	77.26994267	आंशिक ग्राम
26	सरागोदु	कोलेगल	चमराजनगर	60.3285	12.03122191	77.27372234	आंशिक ग्राम
			कुल:	**12,366.29**			

उपाबंध III

मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

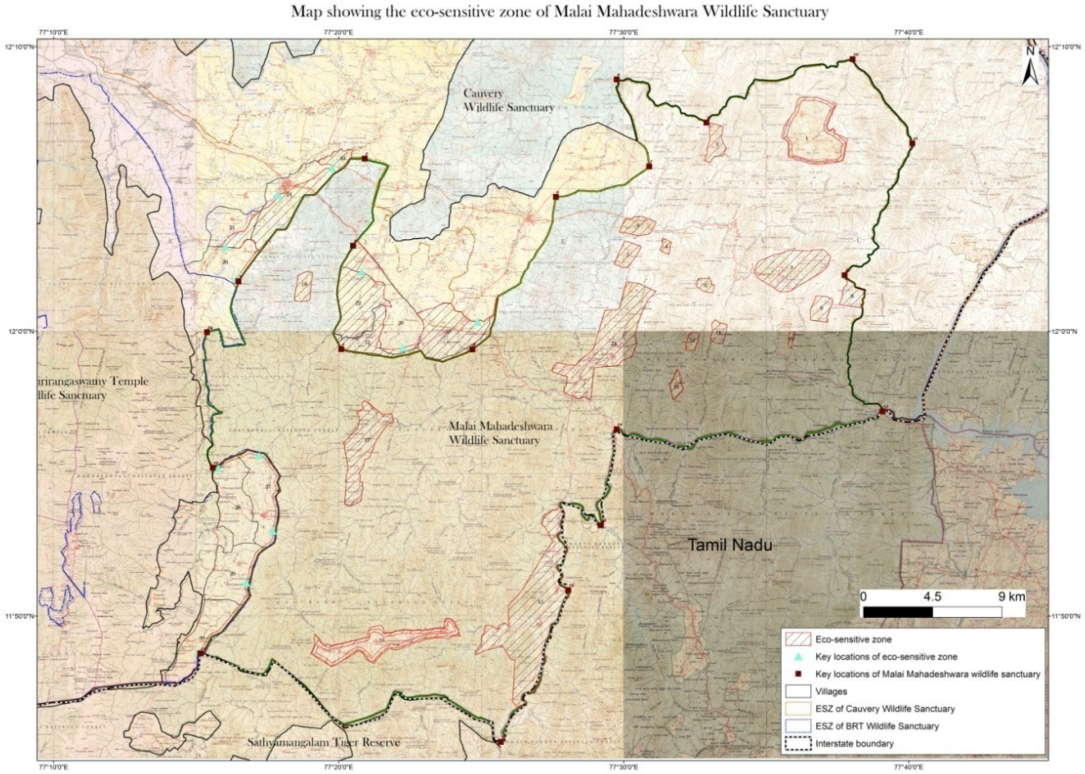

उपाबंध IV

मलाई महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य की सीमा पर जी पी एस बिंदु के प्रमुख स्थान

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	12.02920	77.27474
2	12.10100	77.34854
3	12.05004	77.34174
4	11.98950	77.33484
5	11.98930	77.41154
6	12.07860	77.46034
7	12.09650	77.51494
8	12.14740	77.49584
9	12.12220	77.54834
10	12.15930	77.63384
11	12.10990	77.66874
12	12.03280	77.62914

13	11.95310	77.65134
14	11.94260	77.49584
15	11.88640	77.48654
16	11.84836	77.46755
17	11.75960	77.42814
18	11.81130	77.25244
19	11.92012	77.25972
20	11.99940	77.25633

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर जी पी एस बिंदु के प्रमुख स्थान

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	12.02547	77.27365
2	12.03845	77.2431
3	12.08196	77.26162
4	12.08346	77.30649
5	12.09956	77.32083
6	12.10589	77.34138
7	12.04894	77.34434
8	12.00271	77.38697
9	11.99707	77.41613

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

S.O.1274(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary notified vide notification No: FEE 90 FWL 2013 dated 07.05.2013 situated in Chamrajnagara district (Hanur taluk) of Karnataka State situated between the North Latitudes 11°44'54.29"N to 12° 9'32.51"N and the East Longitudes 77°15'28.54"E to 77°40'6.35"E is spread over an area of 906.187 square kilometers;

AND WHEREAS, Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary forms important part of the savannah woodland forests of Karnataka and also forms part of the Mysore Elephant Reserve declared by Project Elephant which supports good densities of Asian elephants depicting the ecological importance of the sanctuary and recently tigers have also been documented in this wildlife sanctuary.

AND WHEREAS, the western side of the sanctuary is connected to Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve through a very narrow corridor, southern side is connected to Satyamangalam Tiger Reserve (1,411.6 km^2) and eastern part is connected to North Baragur Reserve Forest (451.5 km^2) both of which are in Tamil Nadu which forms a contiguous habitat for wide ranging species in over 3,000 sq kms, one of the largest in the country where some of the large mammals are found which include tiger, leopard, wild dog, striped hyena, sloth bear, elephant, gaur, sambar, chital and four-horned antelope, smooth coated-otter and marsh crocodile are two important riverine wildlife species and the sanctuary is also famous for the endangered fish Deccan Mahasheer, the River Paalar flows through the sanctuary and forms the interstate boundary on the eastern side of the sanctuary, and there are 19 enclosure villages inside the sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the geographical area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view, to

conserve and protect the biodiversity and wildlife therein and its environment and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.23 km to 3.80 kms around the boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area 123.66 sq km with an extent varying from 0.23 km to 3.80 kms around the boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary and the boundary details of such Zone are given in **Annexure-I**.

(2) The list of 26 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Municipal,
(vi) Revenue,
(vii) Agriculture,
(ix) Karnataka State Pollution Control Board,
(x) Irrigation,
(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 23, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads.

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or this law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there underunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000, as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-**

(a) No establishment of new wood based Industries within the Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law for the time being in force..

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:

		Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
Regulated Activities		
10.	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines
12.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of Eco- sensitive Zone, construction for *bona fide* local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests

		the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables, transmission lines above 11 KV and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

25.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee.-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone consisting of following members, namely:-

(i) Regional Commissioner, Mysore –Chairperson;

(ii) Member of Legislative Assembly representing Hanur Constituency, Chamarajanagar District to be nominated in consultation with the speaker of the State Legislative Assembly – Member;

(iii) A representative of the Department of Environment, Government of Karnataka –Member;

(iv) A representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member;

(v) A representative of non-governmental Organisation working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period of one year – Member;

(vi) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore-Member;

(vii) One expert in ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the State Government for a period of one year India -Member;

(viii) Deputy Commissioner or his representative, Chamarajanagar –Member; and

(x) Deputy Conservator of Forests, Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary, Kollegal - Member Secretary.

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and

falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-V**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/162/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DETAILS OF MALAI MAHADESHWARA WILDLIFE SANCTUARY

Most of the village areas in the fringes (outside) the Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary which are supposed to be included in the Eco-sensitive zone of the Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary are already included with in the Eco-sensitive zone boundary limits of B.R.T Wildlife Sanctuary on the Eastern part and by the Cauvery Wildlife Sanctuary on the Northern part (some portion) & the remaining Northern portion of the Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary is contiguous with the Cauvery Wildlife Sanctuary. The Southern portion of the entire Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary forms interstate boundary between Karnataka & Tamil Nadu States. Hence, the Tamilnadu Forests Department authorities has been requested to maintain Eco-sensitive zone as per the Ministry of Environment of Forests, New Delhi directions/guidelines vide letter no. FN 1-9/2007 WL I(Pt) dated: 09.02.2011.Further, all enclosures with in the three Reserved Forests namely, M.M.Hills Reserved Forest, Edayarahalli Reserved Forest & Hanur Reseved Forest forming Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary are included as Eco-sensitive zone to maintain the ecological integrity of the Sanctuary.

The revenue areas included with in the Eco-sensitive zone of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary are divided into two parts namely PART-I & PART-II as these two parts are separated at the Northern portion of Hanur Reserved Forest as the part of Eco-sensitive zone of Cauvery Wildlife Sanctuary is overlapping/coinciding with the boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary on the Northern part of Hanur Reserved Forest.

PART-I

South: The boundary point starts at a point on the eastern portion of Hanur Reserved Forest with co-ordinates N $12^0$02' 49" E 77^0 17' 16" and runs westwards all along the southern boundary of Hanur village through the outer boundary of Sy. Nos. 355, 175, 176, 147, 150, 198, 200, 201, 14, 204, 203, 205, 221, 168, 222, 234 & 235 till it reaches bi-junction point of Sy. Nos. 235 & 167 of Hanur & Belathur villages respectively on the common village boundary with co-ordinates N 12^0 02' 58" E 77^0 15' 51".

West: From the above co-ordinate the boundary runs in north-east direction all along the Lokkanahalli-Hanur Major District road leading to Hanur town till it reaches the tri-junction point of Belathur, Hanur&Uddanur villages. From this point the line runs along same road further in north-east direction through Hanur village till it reaches point with co-ordinates N 12^0 04' 50" E 77^0 18' 02". From this point the line continues to run along the same road leading to Kaudalli in north-east direction till it reaches tri-junction point of Sy. Nos. 496 & 412 of Hanur village and Sy.No.213 of Doddamaridevarayasamundra village on the common village boundary of Hanur & Doddamaridevarayasamundra villages. Then the line runs northwards for some distance and then passes along the northern portion of Hanur village along the inter village boundary westwards till reaches a point on the stream with co-ordinates N 12^0 05' 58" E 77^0 19' 16".

North: Then the line runs along the stream on the common village boundary of Doddamaridevarayasamundra, Bathuguppa & Chengarahalli villages till it reaches a point with co-ordinates N 12^0 06' 22" E 77^0 20' 27". Then the line descends southwards along the eco-sensitive zone boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary to reach the north-eastern most tip of Hanur Reserved Forest.

PART-II

North & East: The point starts at a point on the boundary of Hanur Reserved Forest with co-ordinates N 12^0 03' 09" E 77^0 20' 30" and then continues in south-east direction all along the Hanur-Ramapuram road till it reaches a point on common village boundary of Ajjipuram & Ramapuram villages with co-ordinates N 12^0 00' 38" E 77^0 22' 46". Then the line continues along the north-east direction along the common village boundary of Ajjipuram & Ramapuram till it reaches a tri-junction point of Ajjipuram, Ramapuram & Chengarahalli villages. Then the line descends in south-east direction along the common village boundary of Ramapuram & Chengarahalli villages till it reaches a point with co-ordinates N 12^0 00' 43" E 77^0 24' 05". Further, the boundary line continues to run along the common village boundary of Ramapuram & Chengarahalli villages till it reaches the north-eastern most tip of Chengarahalli & Ramapuram villages on Edayarahalli Reserved Forest boundary with co-ordinates N 12^0 00' 28" E 77^0 25' 28".

The 50 mts on either side of Ramapura to Hanur and Hanur to Lokkanahalli road does not fall under the Eco-sensitive zone of Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary. And grama thana limits of Ajjipura and Ramapura villages does not fall under Eco sensitive zone.

PART-III

The Eco Sensitive zone in Ponnachi enclosure village will be 100 mts from the boundary of Malai Mahadeshwara Reserved Forest; The Eco Sensitive zone in Meenyam enclosure village will be 100 mts from the boundary of Yedarahally Reserved Forest.

ANNEXURE-II

VILLAGES FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE OF MALAI MAHADESHWARA WILDLIFE SANCTUARY

Map id	Village name	Taluk	District	Extent (ha)	Latitude	Longitude	Eco-sensitive zone width
1	Ponnachi	Kollegal	Chamarajanagar	280.108	12.11796612	77.6172236	100 mtrs.
2	Chengadi	Kollegal	Chamarajanagar	209.558	12.11336612	77.5570236	Entire village (Enclosure)
3	Odakihalla	Kollegal	Chamarajanagar	209.403	12.06726612	77.5092236	Entire village (Enclosure)
4	Elchikere	Kollegal	Chamarajanagar	45.777	12.05216612	77.5277236	Entire village (Enclosure)

5	Bidarahalli	Kollegal	Chamarajanagar	170.615	12.04546612	77.4969236	Entire village (Enclosure)
6	Kokkubore	Kollegal	Chamarajanagar	78.345	12.02690593	77.54777968	Entire village (Enclosure)
7	Malai Mahadeshwara	Kollegal	Chamarajanagar	894.974	12.04746612	77.5989236	Entire village (Enclosure)
8	Indiganatha	Kollegal	Chamarajanagar	185.734	12.02996612	77.6316236	Entire village (Enclosure)
9	Tulsikere	Kollegal	Chamarajanagar	181.194	12.00546612	77.6174236	Entire village (Enclosure)
10	Meduguni	Kollegal	Chamarajanagar	28.901	11.99976612	77.5978236	Entire village (Enclosure)
11	Kombutuki	Kollegal	Chamarajanagar	116.988	12.00636612	77.5539236	Entire village (Enclosure)
12	Tokerai	Kollegal	Chamarajanagar	73.259	11.99356612	77.5366236	Entire village (Enclosure)
13	Doddane	Kollegal	Chamarajanagar	92.505	11.96006612	77.5286236	Entire village (Enclosure)
14	Martalli	Kollegal	Chamarajanagar	1615.36	11.99236612	77.5072236	Entire village (Enclosure)
15	Hoogyam	Kollegal	Chamarajanagar	2679.177	11.84226612	77.4652236	Entire village (Enclosure)
16	Minniyam	Kollegal	Chamarajanagar	440.397	11.82236612	77.3518236	100 mtrs.
17	Dinnalli	Kollegal	Chamarajanagar	905.142	11.92926612	77.3527236	Entire village (Enclosure)
18	Pacchedoddi	Kollegal	Chamarajanagar	171.245	12.02356612	77.3168236	Entire village (Enclosure)
19	Ramapuram	Kollegal	Chamarajanagar	1062.68	12.01654626	77.39464569	Partial village
20	Ajjipuram	Kollegal	Chamarajanagar	238.618	11.98966612	77.3669236	Partial village
21	Gangandoddi	Kollegal	Chamarajanagar	408.307	12.01189427	77.36096675	Partial village
22	Suleripalaiyam	Kollegal	Chamarajanagar	1051.38	12.02822495	77.35963438	Partial village
23	Doddamarideva rayasamundram	Kollegal	Chamarajanagar	172.584	12.10247803	77.32751465	Partial village
24	Hanur	Kollegal	Chamarajanagar	812.965	12.07966612	77.2979236	Partial village
25	Belattur	Kollegal	Chamarajanagar	180.748	12.06107256	77.26994267	Partial village
26	Siragodu	Kollegal	Chamarajanagar	60.3285	12.03122191	77.27372234	Partial village
			Total :	**12,366.29**			

ANNEXURE-III

Map of Eco-sensitive Zone

Map showing the eco-sensitive zone of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary

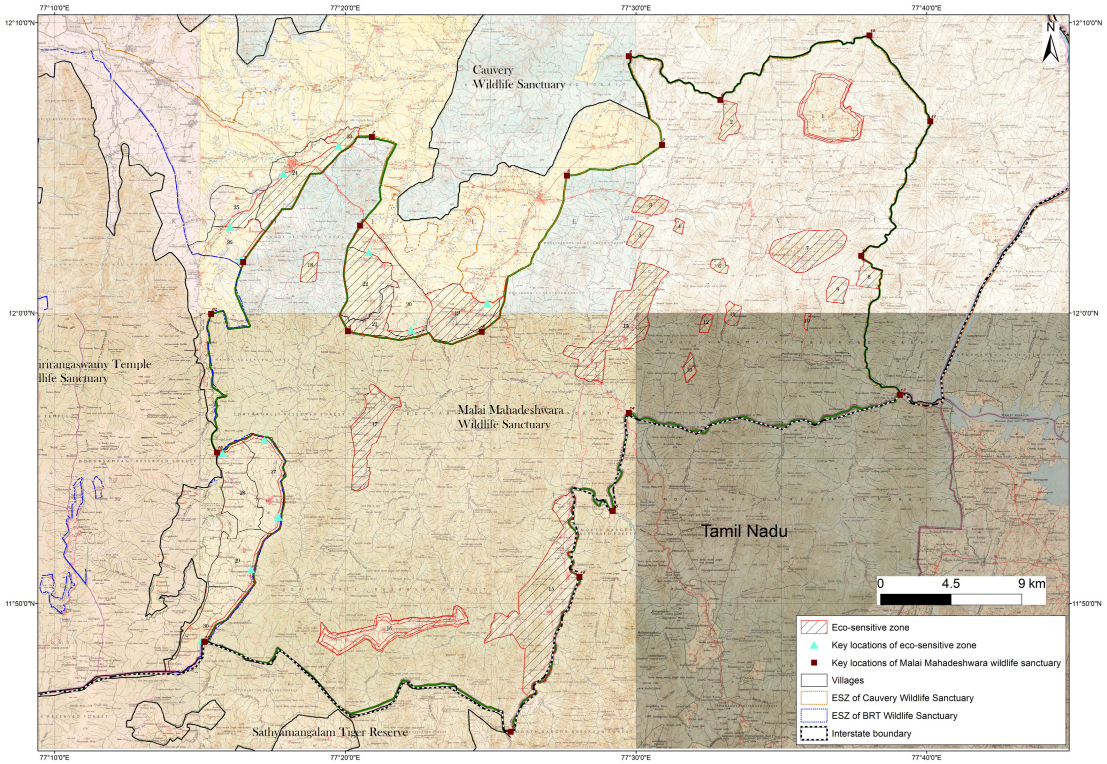

ANNEXURE-IV

Key locations (GPS Points) on the Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary boundary

Map id	Latitude	Longitude
1	12.02920	77.27474
2	12.10100	77.34854
3	12.05004	77.34174
4	11.98950	77.33484
5	11.98930	77.41154
6	12.07860	77.46034
7	12.09650	77.51494
8	12.14740	77.49584
9	12.12220	77.54834

10	12.15930	77.63384
11	12.10990	77.66874
12	12.03280	77.62914
13	11.95310	77.65134
14	11.94260	77.49584
15	11.88640	77.48654
16	11.84836	77.46755
17	11.75960	77.42814
18	11.81130	77.25244
19	11.92012	77.25972
20	11.99940	77.25633

Key locations (GPS Points) on the Eco-sensitive Zone boundary.

Map id	**Latitude**	**Longitude**
1	12.02547	77.27365
2	12.03845	77.2431
3	12.08196	77.26162
4	12.08346	77.30649
5	12.09956	77.32083
6	12.10589	77.34138
7	12.04894	77.34434
8	12.00271	77.38697
9	11.99707	77.41613

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.